तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 14/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/30) बअनवान भवरसिंह बनाम बूधसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

भंवरसिंह

बनाम

बुधसिंह इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री अनोपसिंह सोलंकी अधिवक्ता अपीलांट्
2. श्री गिरधरसिंह भाटी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक
3. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या दो से पांच व नौ
4. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या ग्यारह

आदेश

दिनांक 06 फरवरी 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2025 अनवान बूधसिंह बनाम अचलसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 जनवरी 2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 17 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पाडेन्ट संख्या 1 बूधसिंह द्वारा सरस्वती बाल विधा मन्दिर उच्च माध्यमिक विधालय चामू का संचालन नवजागृति शिक्षण संस्थान द्वारा चलाई जा रही है, जिसका रेस्पांडेन्ट संख्या 1 स्वंय अध्यापक है तथा विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1155 की कृषि भूमि का बिना सम्परिवर्तन करवाये शैक्षणिक रूप से उपयोग में ली जा रही है जो धारा 177 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण जांच योग्य है। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 बूधसिंह के उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार से रहवासीय ढाणिया एवं टांके पचावे इत्यादी बने हुए नहीं है, बल्कि स्कूल का संचालन किया जा रहा है। इसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार का नजरी नक्शा राजस्व वाद के साथ प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नही किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बूधसिंह का कथन है कि उसने उक्त भूमि पर बड़ी मेहनत से उपजाउ एवं उपयोग बनाई है तथा धोरा पाली खाद बीज उरर्वक डालकर उपयोगी बनाया है उक्त कथन झुठा व बेबुनियादी है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा उक्त कृषि भूमि पर सम्परिवर्तन करवाया बिना अवैध तरीके से निर्माण करवा कर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। रेस्पोडेंट संख्या एक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के खातेदार एक विधवा विरांगना तथा गौरव सैनानी को अपने रहवास ठावो को तोडकर नया रहवासीय मकान को बनाने से रूकवाने के लिए तथा विधवा विरांगना पर दबाव बनाकर उक्त जमीन बेचने का कह रहा है, इसलिए अधिनस्थ न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है जो आदेश विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा कृषि भूमि का बिना सम्परिवर्तन करवाये स्कूल का संचालन किया जा रहा है जो धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्कूल को कुर्क कर दिया जाना चाहिए।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीत्लान्ट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08 जनवरी 2025 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत्त विभाजन होना है। अपीलांट अविभाजित भूमि में जबरन निर्माण कार्य करने पर आमादा है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.02.2025 नियत की है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किये बिना तथा आगामी पेशी से पूर्व ही अदालत हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 14/2025;जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/30द्ध बअनवान भवरसिंह बनाम बूधसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसके संबंध में विभाजन का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर आगामी पेशी दिनांक 10 फरवरी 2025 नियत की गई है। अदालत हाजा रेस्पो. के इस मत से सहमत है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे बिना नियत पेशी से पूर्व ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट के पास विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथमदृष्टया पोषणीय नहीं है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तेक्षप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2025 अनवान बूधसिंह बनाम अचलसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 जनवरी 2025 यथावत रखा जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर